

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:-प.1(13)नविवि/ भरतपुर /2025

जयपुर, दिनांक: यथा-हस्ताक्षरित

-:अधिसूचना:-

{अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1)}

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भरतपुर जिले में ग्राम चक भाडौर में कृषि उपज मण्डी समिति भरतपुर के नवीन यार्ड हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार उक्त वर्णित प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 6 (8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (6) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(51)Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
- 3- जिला कलक्टर, भरतपुर।
- 4- वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि।
- 5- सचिव, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर।
- 6- सहायक निदेशक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को राजस्थान राजपत्र के असाधारण में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव.प्रथम

RajKaj Ref No.:
16501320

eSign DSC